


कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर
(प्रशिक्षण निदेशालय)

क्रमांक:-प.11(01)प्रशि/पॉलिसी/2015/9764-9844 दिनांक:- 07-12-2015

स्थाई आदेश क्रमांक :- 21 / 2015

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 27 (3) के तहत कानिस्टेबल से हैड कानिस्टेबल के पद की पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियों को पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम कराने हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 30 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित निर्देश/आदेश के व्यतिक्रम में विशेष परिस्थितियोंवश कानिस्टेबल से हैड कानिस्टेबल पद की वर्ष 2015-16 में आयोजित होने वाले समस्त पीसीसी बच्चों के लिए संलग्न पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है।



(मनोज भट्ट)

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. पुलिस आयुक्त जयपुर/ जोधपुर।
5. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर।
7. प्रधानाचार्य आरपीटीसी जोधपुर।
8. कमाण्डेन्ट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर/ किशनगढ़/ खैरवाड़ा/
झालावाड़/ बीकानेर/ अलवर/ भरतपुर/ पीएमडीएस बीकानेर।
9. कमाण्डेन्ट पुलिस कमाण्डो ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर।
10. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।



महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान पुलिस
कानिस्टेबल से हैड कानिस्टेबल
पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
(प्रशिक्षण अवधि-06 सप्ताह, परीक्षा अवधि-1 सप्ताह)

1	कुल अवधि	49 दिन
2	प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध दिन	36 दिन
3	अन्तरंग प्रशिक्षण के लिए 36 (दिवस) x 6 (कालांश)	216 कालांश
4	बहिरंग प्रशिक्षण के लिए 36 (दिवस) x 2 (कालांश)	72 कालांश
5	फायरिंग एवं आउटडोर परीक्षाएं	2 दिन
6	इण्डोर परीक्षाएं	2 दिन
7	खेल 36x1	36 कालांश

राजस्थान पुलिस
कानिस्टेबल से हैड कानिस्टेबल
पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
अंतरंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
विवरण
प्रश्न पत्र - I

वृहद अधिनियमों की सामान्य जानकारी एवं अनुसंधान

पूर्णांक :- 100

कालांश :- 58

मॉड्यूल-एक - वृहद अधिनियमों की सामान्य जानकारी

कालांश - 22

अ- भारतीय दण्ड संहिता -

क्र.सं.	विषयवस्तु	कालांश
1	धारा 21 से 25 तक , 34, 52क, 75, 159, 160, 509, 511	2
2	धारा 295 से 298 तक	2
3	धारा 332,333,353, 309	2

ब-दण्ड प्रक्रिया संहिता -

क्र.सं.	विषयवस्तु	कालांश
1	परिभाषा - धारा 2	2
2	धारा 41,41क,41ख,41ग,41घ (नवीनतम विधिक प्रावधान), धारा 36,37,42,43।	2
3	धारा 46,47	1
4	धारा 50,50क,51,57	2
5	तलाशी - धारा 100,102	2
6	जमानत - धारा 436 से 439 तक	1

स-साक्ष्य अधिनियम -

क्र.सं.	विषयवस्तु	कालांश
1	परिभाषा - धारा 3- तथ्य, दस्तावेज, सुसंगत, विवाद्यक तथ्य, साक्ष्य, उपधारणा	2
2	स्वीकृति एवं संस्वीकृति - धारा 23 से 26 तक	2
3	विशेषज्ञ की राय व साक्ष्य - धारा 45 से 47,159,160	2

उपरोक्त सभी बिन्दुओं की जानकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान केस लॉ तथा पुलिस मुख्यालय के परिपत्र/स्थाई आदेशों व नवीनतम संशोधनों के परिप्रेक्ष में दी जावे।

मॉड्यूल-दो – अनुसंधान :- सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक

कालांश-36

अ- अनुसंधान (विधिक प्रावधान)

कालांश 04

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 से 176, 299, 82, 83

ब- व्यवहारिक कार्य

कालांश 09

अनुसंधान का व्यवहारिक कार्य – प्रथम सूचना रिपोर्ट, कार्यवाही पुलिस, घटनारथल का निरीक्षण, साक्ष्य संकलन, सबूतों की सुरक्षा, नक्शा मौका, बयान, पंचायतनामा, फर्द गिरफ्तारी, केश डायरी, सफीना, रिमाण्ड, अंतिम रिपोर्ट।

स- विभिन्न प्रकरणों का अनुसंधान

1. मारपीट व बलवा प्रकरण

कालांश 07

- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 से 327, 341, 342, 141 से 153क तक
- साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1), मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करना।
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही
- मारपीट एवं बलवा प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना।

2. आपराधिक अतिचार प्रकरण

कालांश 05

- भारतीय दण्ड संहिता धारा 447, 448, 451, 452
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही
- आपराधिक अतिचार प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
- राजस्व रिकार्ड की उपयोगिता।
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना।

3. चोरी प्रकरण

कालांश 06

- भारतीय दण्ड संहिता धारा 378, 379, 380, 383, 411, 413, 414
- साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, फर्द इतला, फर्द बरामदगी तैयार करना।
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही
- चोरी प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना।

4. सड़क दुर्घटना प्रकरण

कालांश 05

- भारतीय दण्ड संहिता धारा 279, 304ए, 336, 337, 338
- मोटर वाहन अधिनियम 133, 134, नोटिस तैयार करना।
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही
- सड़क दुर्घटना प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना।

प्रश्न पत्र - II

विविध अधिनियम एवं निरोधात्मक कार्यवाही

पूर्णांक :- 100

कालांश :- 58

कालांश - 36

मॉड्यूल-तीन - विविध अधिनियम

1. आबकारी अधिनियम

कालांश 06

- राजस्थान आबकारी अधिनियम - 1950 धारा 16,19,47, 54, 54ए, 66, 66ए
- कार्यवाही हेतु शराब की न्यूनतम मात्रा
- सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना
- सम्पूर्ण कार्यवाही की पत्रावली तैयार करना।

2. जुआ प्रकरण

कालांश 05

- राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश - 1949 धारा 3, 4, 5, 13
- सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना
- सम्पूर्ण कार्यवाही की पत्रावली तैयार करना।

3. भारतीय वन अधिनियम

कालांश 06

- भारतीय वन अधिनियम- 1927 धारा 41, 42, 52, 53, 64, 65
- सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना
- सम्पूर्ण कार्यवाही की पत्रावली तैयार करना।

4. शस्त्र अधिनियम

कालांश 06

- शस्त्र अधिनियम- 1959 धारा 3, 4, 25, 27, 30, 39
- सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना
- सम्पूर्ण कार्यवाही की पत्रावली तैयार करना।

5. मोटर वाहन अधिनियम

कालांश 06

- मोटर वाहन अधिनियम - 1988 एवं नियम - 1989 एवं नियम - 1990 धारा 1, 2, 3, 5, 29, 39, 66, 66ए, 120 से 127,136,177 से 201, 206, 207
- सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना
- चैकिंग फर्द बनाना, जुर्माना रसीद बनाना व इस्तगासा बनाना।

6. अन्य अधिनियमों की जानकारी

कालांश 07

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम - 1972 धारा 9, 51, 55
- बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम 2006 मय नवीनतम संशोधन
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम- 2000 धारा 2, 4, 5, 12
- ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम
- पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 धारा- 2, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 25, 26
- धूम्रपान प्रतिशोध अधिनियम

अ-परिशान्ति व सदाचार बनाये रखते हेतु निरोधात्मक कार्यवाही

कालांश 06

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 106 से 110, 116, 122, 151
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता 107 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियों एवं इस्तगासा तैयार करना।
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता 108 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियों एवं इस्तगासा तैयार करना।
4. दण्ड प्रक्रिया संहिता 109 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियों एवं इस्तगासा तैयार करना।
5. दण्ड प्रक्रिया संहिता 110 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियों एवं इस्तगासा तैयार करना।
6. दण्ड प्रक्रिया संहिता 122 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियों एवं इस्तगासा तैयार करना।
7. दण्ड प्रक्रिया संहिता 151 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियों एवं इस्तगासा तैयार करना।

कालांश 06

ब-लोक व्यवस्था बनाये रखते हेतु निरोधात्मक कार्यवाही

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 129 से 132, परिस्थितियों एवं की जाने वाली कार्यवाही
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता 144 व 144क, परिस्थितियों एवं की जाने वाली कार्यवाही, निषेधाज्ञा उल्लंघन करने पर 188 भारतीय दण्ड संहिता में कार्यवाही

कालांश 04

ब-लोक न्यूसेन्स हेतु निरोधात्मक कार्यवाही

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 133, परिस्थितियों एवं की जाने वाली कार्यवाही
2. इस्तगासा तैयार करना

द-भूमि संबंधी विवादों पर परिशान्ति भंग होने की आशंका में निरोधात्मक कार्यवाही कालांश 06

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 145 व 146, परिस्थितियों एवं की जाने वाली कार्यवाही
2. इस्तगासा तैयार करना

प्रश्न पत्र - III

पुलिस थाने की कार्यप्रणाली

पूर्णांक :- 100
कालांश :- 50

मॉड्यूल-पांच -थाना प्रबन्धन एवं संचालन
अ-विधिक प्रावधान

कालांश-13

- राजस्थान पुलिस नियम-1965 के नियम 3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.64 में प्रदत्त मुख्य आरक्षी की शक्तियां, ड्यूटी, अधिकार एवं कार्यक्षेत्र आदि
- राजस्थान पुलिस एक्ट - 2007 धारा 29,30,32,33,34,35, 36,37,38,39,55,59 ,60
- राजस्थान पुलिस नियम - 2008 - सामान्य जानकारी
- लोकसेवा गारण्टी अधिनियम - 2012 परिचय , सामान्य जानकारी
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियम व अपील) नियम - 1958 नियम 14, 15,16,17,19

कालांश -12

ब-दैनिक कार्यवाही

- रोजनामचा लेखन, ड्यूटी लगाना, रोलकॉल की उपयोगिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना
- सूचना डेस्क, महिला डेस्क
- केस ऑफिसर स्कीम, हार्ड कोर स्कीम, सीएल0जी0
- सर्विस, पासपोर्ट, हथियार लाईसेन्स सत्यापन
- गश्त, नाकाबन्दी, पुलिस रेसपोन्स टाईम, यातायात नियन्त्रण तथा सड़क सुरक्षा के उपाय (जिम्मेदार विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, दुर्घटना के कारणों का पता लगाना तथा उनका निदान)
- बीट प्रणाली - सम्पूर्ण बीट वर्क मॉड्यूल, क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्तियों, आपराधिक गतिविधियों की जानकारी, बीट में मुखबीर बनाना, क्रिमिनल इन्टेलिजेन्स, बीट का सर्वे, बीट मैप तैयार करना, सजग पड़ोसी होना, सम्बल योजना, नौकरो का रिकार्ड, सी.पी.ओ., सी.एल.जी.सदस्यों से समन्वय

कालांश -13

मॉड्यूल-छः - थाना रिकार्ड का संधारण

- थाने के विभिन्न रिकार्ड का संधारण- रोजनामचा, एफ0आई0आर0, जरायम रजिस्टर, वीसीएनबी, इण्डेक्स रजिस्टर, पर्चा ए व बी का संधारण, एक्वीटल रजिस्टर, सम्मन वारन्ट रजिस्टर व तारीख पेशी रजिस्टर, हथियार रजिस्टर, पासपोर्ट चरित्र सत्यापन रजिस्टर, परिवाद रजिस्टर, सामान सरकारी रजिस्टर, आवक-जावक रजिस्टर व अन्य रिकार्ड तथा संधारण की उपयोगिता
- राउंड्रीशीट, हिस्ट्रीशीट के बारे में सम्पूर्ण जानकारी, हिस्ट्रीशीट के प्रकार, हिस्ट्रीशीट खोलना व बन्द करना, नोट डालना, अपडेट करना, निगरानी करना, उद्घोषित अपराधी बनाने की प्रक्रिया

कालांश -12

मॉड्यूल-सात - मालखाने का प्रबन्धन व निस्तारण

- मालखाना रजिस्टर का संधारण
- मालखाने में माल का रखरखाव
- मालखाना निस्तारण - जब्तशुदा माल एवं प्राकृत्या क्षय, शील वस्तुओं का निस्तारण, विभिन्न शीर्षको (यथा - मुकदमाती, निर्णयसुदा, एफ0आर0, 102 सी0आर0पी0सी0, 38 पुलिस एक्ट, जामा तलाशी इत्यादि) में माल निस्तारण की कानूनी व व्यवहारिक प्रक्रिया। आबकारी अधिनियम में जब्तसुदा माल के निस्तारण हेतु उच्च न्यायालय के निर्देश। एन0डी0पी0एस0 एक्ट में जब्तसुदा माल का निस्तारण।
- निस्तारण हेतु नीलामी प्रक्रिया

प्रश्न पत्र - IV

पुलिस लाईन कार्य तथा अन्य सामयिक विषय

पूर्णांक :- 100

कालांश :- 50

माड्यूल-आठ- विविध विषय

अ - पुलिस लाईन कार्य -

कालांश - 05

क्र.सं.	विषयवस्तु	कालांश
1	चालानी गार्ड, सुरक्षा गार्ड ड्यूटी व अन्य गार्ड ड्यूटीज	03
2	पुलिस लाईन की विभिन्न शाखाओं की जानकारी एवं शाखा प्रभारी के रूप में कार्य	02

ब - सामयिक विषय एवं व्यक्तित्व विकास -

कालांश - 10

क्र.सं.	विषयवस्तु	कालांश
1	तनाव प्रबन्धन	02
2	समय प्रबन्धन	01
3	पुलिस जनता सम्बन्ध	02
4	संवाद कौशल	02
5	राजस्थान पुलिस की आदर्श आचार संहिता एवं पुलिस का ध्येय	01
6	पुलिस छवि सुधारने का उपाय	01
7	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम - 1993 (केन्द्र एवं राज्य) सामान्य जानकारी- धारा-12, 13, 14, 17, 18 मानव अधिकार संरक्षण में पुलिस की भूमिका	01

स - आसूचना एवं सुरक्षा -

कालांश - 15

क्र.सं.	विषयवस्तु	कालांश
1	आसूचना से अभिप्राय एवं आसूचना संकलन की विधियां	03
2	वी.आई.पी. सुरक्षा	02
3	बी.डी.एस. एवं डॉग स्क्वाड, एण्टी सर्बोर्टॉज चैक	03
4	सुरक्षा उपकरणों की जानकारी	02
5	किशान, छात्र, श्रमिक व राजनैतिक पार्टियों के आन्दोलन	02
6	आतंकवाद एवं साम्प्रदायिकता सम्बन्धी सामान्य जानकारी	03

द - विधि विज्ञान -

कालांश - 10

क्र.सं.	विषयवस्तु	कालांश
1	विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विभिन्न खण्डों की जानकारी, अपराध अनुसंधान में उपयोगिता	02
2	डी.एन.ए., ब्रेन मैपिंग, नारकोटेस्ट की सामान्य जानकारी	02
3	पद चिन्ह, अंगुल चिन्ह उठाना	02
4	मेडिकल व पोस्टमार्टम रिपोर्ट	02
5	साईबर काईम- सामान्य जानकारी	01
6	सैल फोन की तकनीक व कॉल डिटेल् का विश्लेषण	01

य - कम्प्यूटर बेसिक्स

कालांश - 10

Computer basic

Period

- 1 Computer fundamental and importance of computer
- 2 Hardware and software of a computer system
- 3 Operating systems - windows (Theory, Practical)
- 4 Backup and storage Devices. Virus/Antivirus
- 5 Microsoft word - 2007 (Theory, Practical)
- 6 Microsoft excel - 2007 (Theory, Practical)
- 7 Overview of Networking - Internet, Searching & Emailing (Theory, Practical)
- 8 Overview of Cyber Crime
- 9 Overview of CCTNS

आन्तरिक मूल्यांकन

अंक :-50

क्र.सं.	विषय एवं संदर्भ
1	प्रशिक्षण गतिविधियों में भागीदारी एवं रुचि।
2	अनुशासन

राजस्थान पुलिस
कानिस्टेबल से हैड कानिस्टेबल
पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
आउटडोर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र संख्या	विवरण	पूर्णांक	कुल कालांश	विषयानुगत अंक	विषयानुगत कालांश
1	शारीरिक प्रशिक्षण, ड्रिल एवं भीड़ नियंत्रण	100	56		
	A शारीरिक प्रशिक्षण	10	18	—	—
	क - फ्री-हैण्ड पी.टी.	—	—	05	06
	ख - योगासन, प्राणायाम	—	—	05	06
	ग - रोडवॉक एण्ड रन 2 किमी	—	—	02	06
	B ड्रिल	70	06	—	—
	क - टर्न आउट	—	—	10	—
	ख - खाली हाथ ड्रिल	—	—	15	02
	ग - शस्त्र सहित ड्रिल, गार्ड ड्यूटी	—	—	15	02
	घ - निर्देशात्मक योग्यता	—	—	30	02
	C भीड़ नियंत्रण एवं बलवा परेड	20	06	—	—
	क - यातायात नियंत्रण	—	—	04	01
	ख - भीड़ नियंत्रण एवं भीड़ प्रबन्धन	—	—	04	02
	ग - बलवा परेड (एस.टी.एफ.पेटर्न पर)	—	—	10	01
	ड - आपदा प्रबन्धन एवं प्राथमिक चिकित्सा	—	—	02	02
2	शस्त्र प्रशिक्षण, मस्केट्री, फील्ड क्राफ्ट	100	16		

एवं टेक्टिक्स				
A फील्ड क्राफ्ट एवं टेक्टिक्स	10	05	--	--
1. फिल्ड क्राफ्ट	02	--	--	01
2. पेट्रोलिंग	02	--	--	01
3. नाकाबन्दी	02	--	--	01
4. अम्बुश	02	--	--	01
5. घेराबन्दी	02	--	--	01
B शस्त्र प्रशिक्षण व मस्केट्री	80	11	--	--
क - शस्त्र ज्ञान	30	08	--	--
1. 7.62 एमएम एसएलआर एवं 303 राईफल	--	--	08	02
2. 9.एमएम पिस्टल / .38रिवाल्वर, ग्लोक पिस्टल	--	--	08	02
3. 9 एमएम स्टेनगन / कारबाईन	--	--	04	01
4. रबड़ बुलेट, प्लास्टिक पेटलेट, गैस गन एवं गैस ग्रेनेड	--	--	06	02
5. विस्फोटको के प्रकार, बम कैसे बनाया जाता है (बम के घटक), बम और आई.ई.डी. में अन्तर, बम ब्लॉस्ट की क्रिया विधि / विस्फोटक डिवाईस / विस्फोटक नमूने, आई.ई.डी.।	--	--	04	01
ख - मस्केट्री व फायरिंग	50	03	--	--
1. 7.62 एमएम एस.एल.आर. / 303 राईफल	--	--	--	--
I) ग्रुपिंग 100 गज 5 राउण्ड लाईंग पोजीशन टारगेट 4x4	--	--	15	--
II) एप्लीकेशन 100 गज 5 राउण्ड लाईंग पोजीशन टारगेट 4x4	--	--	15	--
2. 9एमएम स्टेनगन / कारबाईन	--	--	--	--
I एप्लीकेशन 20 गज 5 राउण्ड बैटलकाउच पोजीशन टारगेट फिगर -11	--	--	10	--
II एप्लीकेशन 25 गज 5 राउण्ड स्टेण्डिंग पोजीशन टारगेट फिगर -11	--	--	10	--

मस्केट्री फायरिंग अंक विवरण :-

1. 7.62 एमएम एस.एल.आर./ .303 राईफल

गुपिंग	1"-4"	5"	6"	7"-8	9"-10"	11'-12"
अंक	15	13	12	10	09	08

एप्लीकेशन	बुल	इनर	मेकपाई	आउटर
अंक	3	2	1.5	.5

2. 9 एमएम स्टेनगन/ कारबाईन प्रत्येक हिट पर 2 अंक

नोट:- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मोड्यूल का क्रम वार प्रशिक्षण दिया जायेगा, यथा माड्यूल एक से आरम्भ कर उसके पूर्ण होने पर माड्यूल नं0 दो एवं तत्पश्चात् क्रमवार पूर्ण होने तक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश :-

1. आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) में प्रत्येक प्रश्न में 45 प्रतिशत अंक और कुल आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) के प्रश्न पत्रों का योग का 50 प्रतिशत (एग्रीगेट) अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक हैं।
2. आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) एवं निदेशक/प्रधानाचार्य/कमाण्डेण्ट द्वारा प्रदत्त (आन्तरिक मूल्यांकन) अंको के योग का 50 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक हैं।
3. समस्त आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) परीक्षायें मस्केट्री एवं फायरिंग को छोड़कर बोर्ड द्वारा ली जावेगी। मस्केट्री व फायरिंग की परीक्षा निदेशक/प्रधानाचार्य/कमाण्डेण्ट स्वयं या उनके द्वारा मनोनीत पुलिस अधिकारियों द्वारा ली जावेगी। मस्केट्री व फायरिंग परीक्षा की अंकतालिका बोर्ड के अध्यक्ष को प्रतियों में प्रस्तुत की जावेगी।
4. परीक्षा हेतु बोर्ड का गठन प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा किया जावेगा। बोर्ड अध्यक्ष पदोन्नति परीक्षा के लिए आयोजित चयन परीक्षा के बोर्ड के अध्यक्ष के पद से कम नहीं होगा।
5. अन्तिम परीक्षा में बोर्ड निम्नानुसार होगा :-
 1. महानिरीक्षक पुलिस अध्यक्ष
 2. पुलिस अधीक्षक सदस्य
 3. कमाण्डेण्ट/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सदस्य सचिव